

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुखा

विपक्षी : नवला

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 163 / 13

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 26.11.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अधिवक्ता विपक्षी सं. 6 उपस्थित। प्रार्थी फौत होने से दिनांक 04.09.18 को आदेश देने के बाद आज तक वारिस कायमी नहीं कराई गई है। वादी का वाद भी आज अबेट कर खारिज किया जा चुका है। आज भी अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अबेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र अबेट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

